

प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय गार्थायगिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

संख्या १३०३

/ २७-५९ (२००८-०९) ज००४०

विषय :- सेन्ट एन्थोनीज स्कूल, दुगावर, असमौली, मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि सेन्ट एन्थोनीज स्कूल, दुगावर, असमौली, मुरादाबाद विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से प्रॉविजनल सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०गार्थायगिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मार्गायगिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मार्गायगिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मार्गायगिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुभान्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा रामय-रामय पर जो भी आदेश निर्धारित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उत्तिलिखित ग्राम दुगावर, परगना व तहसील सम्मल, जिला-मुरादाबाद में स्थित गाटा सं० ५९१ ख्षेत्रफल ०.००८ है०, गाटा सं० ५९३ ख्षेत्रफल ०.२१९ है०, गाटा सं० ५४९ ख्षेत्रफल ०.००८ है०, गाटा सं० ६०० ख्षेत्रफल ०.५०२ है०, गाटा सं० ६०५ ख्षेत्रफल ०.६३६ है०, गाटा सं० ६०४ ख्षेत्रफल ०.१६२ है०, गाटा सं० ६०४ ख्षेत्रफल ०.१६२ है०, गाटा सं० ५९१ क्षेत्रफल ०.००८ है०, गाटा सं० ५९३ क्षेत्रफल ०.०५३० है०, गाटा सं० ५९४ क्षेत्रफल ०.००८ है०, गाटा सं० ५९५ क्षेत्रफल ०.१९४ है०, गाटा सं० ५९८ क्षेत्रफल ०.८५३ है० कुल क्षेत्रफल २.८१३ है० भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

Manager
St. Anthony's Sr Sec School
Dugawar Asmoli Sambhal (U.P.)

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मार्गायगिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (गा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 7- प्रबंधक, सेन्ट एन्थोनीज स्कूल दुगावर, असमौली, मुरादाबाद।

(डा० गुरदीप सिंह)
मण्डलायुक्त।

Principal
St. Anthony's Sr. Sec. School
Dugawar, Asmoli, Sambhal (U.P.)